सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 9, सोमवार, शाके 1944-मई 30, 2022

Jyaistha 9, Monday , Saka 1944- May 30, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 23, 2022

संख्या प.4(21) कृषि/ग्रुप-2/2020 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प.4(21) कृषि/ग्रुप-2/2020 जयपुर, दिनांक 30.06.2020 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के क्षेत्र में से पंचायत समिति, बानसूर की समस्त ग्राम पंचायत (आलमपुर, बबेडी, बासदयाल, बामनवास, बबेरा, बिलाली, बहराम का बास, बूटेरी, बाबरीया, बालावास, बानसूर, भूपसेडा, भग्गू का बास, कराणा, खेडा, खोहरी, गूंता, गिरूडी, ज्ञानपुरा, चतरपुरा, चूला, छीण्ड, देवसन, नीमूचाना, नयाबास, नांगल-लाखा, मोठूका, महनपुर, माजरा अहीर, रामपुर, रसनाली, लोयती, लेकडी, श्यामपुरा, शाहपुर, सबलपुरा, हरसौरा, हमीरपुर, होलावास, हाजीपुर माची, बुर्जा, इन्द्राडा, तुराणा, किशोरपुरा, कल्याणपुरा) के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नयी कृषि उपज मण्डी समिति, बानसूर के नाम से स्थापित किये जाने के आशय की घोषणा की गई थी।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के घोषित क्षेत्र में से पंचायत समिति, बानसूर की उपरोक्त समस्त ग्राम पंचायतों के समस्त क्षेत्र को पृथक करने की घोषणा करती है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में पंचायत समिति, बानसूर की समस्त ग्राम पंचायत (आलमपुर, बबेडी, बासदयाल, बामनवास, बबेरा, बिलाली, बहराम का बास, बूटेरी, बाबरीया, बालावास, बानसूर, भूपसेडा, भग्गू का बास, कराणा, खेडा, खोहरी, गूंता, गिरूडी, ज्ञानपुरा, चतरपुरा, चूला, छीण्ड, देवसन, नीमूचाना, नयाबास, नांगल-लाखा, मोठूका, महनपुर, माजरा अहीर, रामपुर, रसनाली, लोयती, लेकडी, श्यामपुरा, शाहपुर, सबलपुरा, हरसौरा, हमीरपुर, होलावास, हाजीपुर माची, बुर्जा, इन्द्राडा, तुराणा, किशोरपुरा, कल्याणपुरा) का समस्त क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति, बानसूर का मण्डी क्षेत्र होगा।

अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के प्रयोग के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, बानसूर का नियमन करती है तथा इस कृषि उपज मण्डी समिति को "द" श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कृषि उपज मण्डी समिति, बानसूर को प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण राजस्व मण्डी समिति, बानसूर के प्रथम बोर्ड के गठन होने तक कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल में पूर्ववत् जमा होगा तथा मण्डी समिति बानसूर के प्रथम बोर्ड गठन होने के पश्चात उक्त जमा राशि मण्डी समिति, खैरथल द्वारा मण्डी समिति बानसूर को स्थानान्तरित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नसीम खान,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।